


आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित संकाय/विषयों सहित सत्र 2013-14 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-


पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
24	भारतीय शिक्षण संस्थान, सीकर रोड, चितावा, तहसील नावां जिला नागौर	भारतीय महाविद्यालय, सीकर रोड, चितावा, वाया कुकनवाली, तहसील नावां जिला नागौर	महर्षि दयानन्द रासरवती विश्वविद्यालय, अजमेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिविज्ञान, भूगोल, कम्प्यूटर विज्ञान, लोकप्रशासन, इतिहास। वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त- ईएफएफ, एबीएसटी, बिजनेस एडो। विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित। बीसीए

- संस्था प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
 - संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
 - संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
 - संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
 - संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
 - महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सदन स्थायी निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वाकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
 - संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
 - संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
 - आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
 - संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी।
 - मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
 - संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोविंग एवं रेजिंग (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।


निदेशक,
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, नागौर
4. कुल सचिव, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर ।
- ✓ 5. सचिव, सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली !


संयुक्त निदेशक (अनुदान)